पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–05/2019ज॰स॰– 250

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 12/02/2020

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 13 अदद लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 0.888 लाख (रूपये अठासी हजार आठ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–04/2017–18, दिनांक –21.04.2017; Online AA- 448, Dated- 02.05.2017

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2019–20** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल/ 20– पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50**S**470200101200545	**0.888**
आवंटित राशि – रू॰ अठासी हजार आठ सौ मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

3. आवंटित राशि वर्ष **2019–20** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 6200.00 लाख** (बासठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्ति किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

12/2/20

(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :– 250 रॉची, दिनांक :– 12/02/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गढ़वा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

12/2/20

(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :– 250 राँची, दिनांक :– 12/02/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)	(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)	**(अमिताभ कौशल)**
उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव	सचिव

विभागीय पत्रांक 250 दिनांक 12/02/2020 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–101–सतही जल,
उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं पुनर्स्थापन
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
संशोधित बजट उपबंध (2019–20) – 6200.00 लाख
विपत्र कोड– 470200101200545

(राशि लाख में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति राशि	प्रशासनिक स्वीकृति प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति Online प्रसंग	एकरारित राशि	मार्च 2019 तक व्यय	वर्ष 2019–20 में पूर्व का आवंटन	वर्ष 2019–20 में वर्तमान आवंटन	वर्ष 2019–20 में कुल आवंटन	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allottment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	गढ़वा (GRHMIR001)		बड़गड़	बरकोल मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	54.457	04/2017-18 dt 21.04.2017	448 dt 02.05.17	41.581	41.221	0.500	0.021	0.521	41.742	85594	
2			गढ़वा	बलहा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	28.067			24.489	23.977	0.500	0.017	0.517	24.494		
3				बाघी नाला मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	39.51			30.510	29.940	0.500	0.082	0.582	30.522		
4			रंका	रक्शी नाला मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	23.787			21.240	19.481	1.000	0.042	1.042	20.523		
5			मेराल	तरके मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	99.977			85.066	84.735	1.000	0.155	1.155	85.890		
6				सोहबरिया मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	28.907			24.870	23.824	1.000	0.160	1.160	24.984		
7			रमना	चना मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	34.465			29.127	28.810	0.500	0.082	0.582	29.392		
8			काण्डी	जमुनदाहा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	56.100			41.115	40.753	0.500	0.021	0.521	41.274		
9			बरडीहा	बरछा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	85.860			73.315	72.466	1.000	0.164	1.164	73.630		
10			रमना	बरहीया म0सिं0यो0 का जीर्णो0	24.154			21.502	18.385	2.160	0.020	2.180	20.565		
11			धुरकी	करोनिया म0सिं0यो0 का जीर्णो0	17.653			16.588	15.510	0.500	0.021	0.521	16.031		
12			भण्डरिया	रेघवा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	68.124			58.682	58.568	0.500	0.082	0.582	59.150		
13				मदगड़ी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	34.008			29.579	29.120	0.500	0.021	0.521	29.641		
				योग :–	**595.069**			**497.664**	**486.790**	**10.160**	**0.888**	**11.048**	**497.838**		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अमिताभ कौशल)
सचिव